

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 17/2015

जिला -भीलवाडा

उनवान : मैसर्स संगम इण्डिया लिमिटेड, भीलवाडा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा एवं अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारी
अहकाम जो इ
हुक्म की तामी
में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
आशा कुमारी, सदस्य

11.02.2015

यहें विविध प्रार्थना-पत्र व्यवहारी की ओर से माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1441/2014 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 07.10.2014 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त निर्णय से प्रकरण में बकाया वसूली राशि पर स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत करेंगे तथा अपीलीय अधिकारी लम्बित अपील अथवा तीन माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी थी।

अपीलार्थी की ओर से कथन किया गया कि उपायुक्त(अपील्स) भीलवाडा के पद के कार्यभार के साथ अतिरिक्त आयुक्त(अपील्स) उदयपुर के पद का कार्यभार था और उपायुक्त(अपील्स) भीलवाडा माह जनवरी में लम्बी अवधि (long leave) के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई हेतु नोटिस जारी हो सका, इस कारण आज दिनांक तक अपील पर फैसला नहीं हुआ है। अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हस्तगत अपील के निस्तारण हेतु कर बोर्ड द्वारा दी गई अवधि में तीन माह की वृद्धि करने का निवेदन किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कथन से अहसमति व्यक्त नहीं की गई।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत बहस सुनने तथा प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का विविध प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील संख्या 1441/14 में पारित किया गया निर्णय दिनांक 07.10.2014 में प्रकरण के निस्तारण की दी गई अवधि, इस आदेश की प्राप्ति से तीन माह और बढ़ाई जाती है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना-पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(आशा कुमारी)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य